न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या 210/2020 — दायर दिनांक 18.08.2020

वादी

1. ओमपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी उम्र 48 वर्ष जाति गुसाई निवासी अगरोट, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी डीडवाना वृत तृतीय मुकाम सीकर जिला सीकर राज0
3. भू–प्रबन्धक अधिकारी सेटलमेंट विभाग, सीकर जिला सीकर राज0
4. जगदीशपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी
5. माधोपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी
6. लक्ष्मणपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी
7. श्रवणपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी प्रति0 सं0 4 ता 07 प्रफोर्मा प्रतिवादी समस्त जाति गुसाई निवासीगण अगरोट तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री भैरूसिंह शैखावत एडवोकेट वादी।
2. श्री मो0 असलम खां एडवोकेट प्रति0 सं0 4 ता 6 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 29.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाकै सरहद अगरोट, पटवार क्षैत्र मामडौदा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र केराप, तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं0 373/166 रकबा 02.12 हैक्टे0 वादी व प्रतिवादी सं0 4 से 7 तक की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का है। खेत की वर्तमान खतौनी वाद–पत्र के साथ पेश है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 तक का उक्त खेत खसरा सं0 373/166 रकबा 02.12 हैक्टे0 वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा "अ" के अनुसार मौके पर है। जिसमें प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के द्वारा मौके की स्थिति के विपरित जाकर रेकर्ड नक्शे में रास्ता तरमीन कर दिया गया है। उक्त तरमीन किया गया रास्ता मार्क ए से बी के रूप में अनुसुचि "अ" में दर्शाया गया है। चूकि मौके पर कभी भी मार्क ए से बी रास्ता नही रहा है तथा ना ही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त रास्ता गलत रूप से दर्ज हो गया है। जिसकी जानकारी वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 तक को पहेल कभी भी नही रही है। अभी हाल के समय में वादी द्वारा उक्त अपने खेत के नक्शे की नकले प्राप्त की जो वादी को इस बात की सदभावी जानकारी हुई कि मौके की स्थिति के विपरित जाकर उनके खेत में रास्ता ना होने के बावजूद भी नक्शे में मार्क ए से बी तरमीम कर दिया गया है।

प्रार्थना वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 तक विरूद्व प्रतिवादीण निम्न है:–

यह है कि बहक वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 विरूद्ध प्रतिवादीगण वाकै सरहद अगरोट में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं0 373/166 रकबा 02.12 हैक्टे0 में अनुसुचि "अ" के अनुसार दर्शित मार्क ए से बी को नक्शे से हटाया जाने की घोषणा की जाकर उक्त रास्ता की मार्क ए से बी भूमि की खातेदारी पुनः वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 तक की घोषित की जाकर तदुनसार रेकर्ड दुरूस्ती नक्शे व खातेदारी में फरमावें।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति० सं० 4 ता 7 का इकबालिया जवाब पेश हुआ। तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 620 दिनांक 21.07.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे सामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वाकै सरहद अगरोट के खेत खसरा सं0 373/166 रकबा 02.12 हैक्टे0 की भूमि के वाद में दर्शित नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 की कृषि भूमि में नजरी नक्शा मार्क ACB अन्य वैकल्पिक रास्ता होने के कारण नजरी नक्शा मार्क A से B डोटेड रास्ता को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तथा इसी अनुरूप ट्रेस नक्शा में अमल दरामद किया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

वाद संख्याः 210/2020 — दायर दिनाँक 18.08.2020

वादी

1. भोमपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी उम्र 46 वर्ष जाति गुसाई निवासी अगरोट, तहसील डीडवाना, जिला नागौरराज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी डीडवाना वृत तृतीय मुकाम सीकर जिला सीकर राज0
3. भू—प्रबन्धक अधिकारी सेटलमेंट विभाग, सीकर जिला सीकर राज0
4. जगदीशपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी
5. माधोपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी
6. लक्ष्मणपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी
7. श्रवणपुरी पुत्र स्व0 सुरजनपुरी प्रति0 सं0 4 ता 07 प्रफौर्मा प्रतिवादी समस्त जाति गुसाई निवासीगण अगरोट तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरूसिंह शैखावत एडवोकेट वादी व श्री मो0 असलम खां एडवोकेट प्रति0 सं0 4 ता 6 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वाकै सरहद अगरोट के खेत खसरा सं0 373/166 रकबा 02.12 हैक्टे0 की भूमि के वाद में दर्शित नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 की कृषि भूमि में नजरी नक्शा मार्क ACB अन्य वैकल्पिक रास्ता होने के कारण नजरी नक्शा मार्क A से B डोटेड रास्ता को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तथा इसी अनुरूप ट्रेस नक्शा में अमल दरामद किया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner